निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्याः सेवायें–3(4)/ 01 /2016–17 दिनांक 02 अप्रैल 2016

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985, उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना सं: 170/XXX(2)/2011 दिनांक 01 जून 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं: 599(1)XXIV–2/2012–6(3)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन रू. 4600) को वरिष्ठतानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) वेतनमान रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन रू. 4800 के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित कार्यालय/संस्था में पदोन्नत करते हुए पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। यदि इस सम्बन्ध में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हों तो यह पदोन्नतियां मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। पदोन्नति पर न जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति पर अगले एक भर्ती वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन पदोन्नत स्थल	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री हुकम सिंह	कार्या.जि.शि.अ. प्रा.शि. पौड़ी गढ़वाल	का.अ.नि. प्रा.शि., गढवाल मण्डल, पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
2	श्री चक्रधर डयूंडी	कार्या. ख.शि.अ. कर्णप्रयाग, चमोली	जि.शि. एवं प्रशि. संस्थान चड़ीगांव, पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
3	श्री हेमचन्द्र उप्रेती	कार्या. मु.शि.अ. चम्पावत	जि.शि. एवं प्रशि. संस्थान डीडीहाट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती पुष्पा पाण्डे	कार्या जि.शि.अ. प्रा. शि. उधमसिंह नगर	जि.शि. एवं प्रशि. संस्थान अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3(4)/ 88–95 /2016–17 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. अपर निदेशक (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./मा. शि.) सम्बन्धित जनपद।
6. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण आदेश तत्काल निदेशालय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 15 अप्रैल 2016 तक पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(राजेन्द्र सिंह रावत)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड